No.CDN-27011/2/2019-CDN-MCA
Government of India
Ministry of Corporate Affairs

5th Floor, 'A' Wing, Shastri Bhavan
Dr. Rajendra Prasad Road, New Delhi-110 001
Dated:22.03.2019

A copy of the Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of February, 2019 is enclosed for information.

(Nilratan Das)
Deputy Secretary to the Govt. of India
Tele: 23389622

All Members of the Council of Ministers

Copy, with enclosures, forwarded to:

1. Cabinet Secretary, Cabinet Secretariat, New Delhi
2. Secretary to the President of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi
3. Secretary to the Vice- President of India, Vice President's Secretariat, New Delhi.
4. The Principal Director General, Ministry of I & B, Shastri Bhawan, New Delhi
5. Secretary, Deptt. of Telecommunications, Sanchar Bhawan, New Delhi
6. Secretary, Deptt. of Higher Education, Shastri Bhawan, New Delhi
7. Secretary, Deptt. of Statistics, Sardar Patel Bhawan, New Delhi
8. Secretary, Legislative Deptt., Shastri Bhawan, New Delhi
9. Secretary, Deptt. of Scientific & Industrial Research,C.S.I.R Building, Rafi Marg, New Delhi
10. Secretary, Ministry of Environment & Forest, Paryavaran Bhawan, New Delhi
11. Secretary, Ministry of Urban Development, Nirman Bhawan, New Delhi
12. Secretary, Deptt. of Revenue, North Block, New Delhi
13. Secretary, Deptt. of Industrial Development, Udyog Bhawan, New Delhi
14. Secretary, Deptt. of Defence Production & Supplies, South Block, New Delhi
15. Secretary, Deptt. of Legal Affairs, Shastri Bhawan, New Delhi

Copy to:

(i) Economic Advisor, MCA
(ii) Senior PPS to Secretary, Ministry of Corporate Affairs
(iii) Senior PPS to Additional Secretary, Ministry of Corporate affairs

Copy, also to: Dir (AK) - To upload the communication on official website of the MCA - under the caption "Monthly Summary of the Ministry of Corporate Affairs for the month of February, 2019"

(Nilratan Das)
Deputy Secretary to the Govt. of India

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

IMPORTANT POLICY DECISIONS TAKEN AND MAJOR ACHIEVEMENTS DURING THE MONTH OF FEBRUARY, 2019

1. **Circulars:-**

(i) This Ministry has issued General Circular no. 01/2019 dated 21.02.2019 regarding extension for last date of filing initial return in MSME Form I and stated that the period of thirty days for filing initial return in MSME Form I as specified in Specified Companies (Furnishing of information about payment to micro and small enterprise suppliers) Order, 2019 dated 22.01.2019 shall be reckoned from the date the said e-from is deployed on MCA21 portal.

2. **Notifications:-**

(i) Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018 were amended on 8th February, 2019 to provide more clarity on the definition of 'significant beneficial owner' and manner of filing of relevant declaration to the company and the Registry. The amendments are aimed at addressing the issues raised by various stakeholders on the Rules. (Notification no. G.S.R. 100(E) dated 08.02.2019).

(ii) Companies (Adjudication of Penalties) Rules, 2014 have been amended on 19th February, 2019, inter alia, to enforce the amendment in section 454 of the Companies Act, 2013 made through Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 [w.e.f. 2/11/2018]. The changes made in the Rules are proposed to ensure speedy adjudication of monetary penalties by Adjudicating Officers (ROCs). (Notification no. G.S.R. 131(E) dated 19.02.2019).

(iii) Companies (Prospectus and Allotment of Securities) Rules, 2014 have been amended on 19th February, 2019 to remove reference to a redundant provision appearing in the Form PAS-3 annexed to such Rules. The amendment has resulted in alignment of provisions of the Act/Rules and the Forms. (Notification no. G.S.R. 130(E) dated 19.02.2019).

(iv) The Companies (Incorporation) Rules, 2014 has been amended to require every company incorporated on or before the 31st December, 2017 to file the particulars of the company and its registered office, in e-Form ACTIVE (Active Company Tagging Identities and Verification) on or before 25.04.2019. Further, where a company files "e-Form ACTIVE", on or after 26.04.2019, the company shall be marked as "ACTIVE Compliant", on payment of fee of ten thousand rupees". The e-form ACTIVE (INC-22A) has also been inserted vide the aforesaid notification. (Notification no. G.S.R. 144(E) dated 21.02.2019).

(v) The Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014 has been amended to insert rule relating to fee for filing e-form ACTIVE under rule 25A of the Companies (Incorporation) Rules, 2014. (Notification no. G.S.R. 143(E) dated 21.02.2019).

3. The proposal for re-promulgation of the Companies (Amendment) Ordinance, 2019 as Companies (Amendment) Second Ordinance, 2019 was approved by Union Cabinet on 19th February, 2019 and the Ordinance was re-promulgated on 21st February, 2019. The re-promulgation was necessary to give continuity to urgent amendments made in the Companies Act, 2013 for implementing the recommendations of the Committee set-up by MCA to review offences and provisions on compliance management under the Companies Act, 2013. The Companies (Amendment) Bill, 2019 is likely to be taken up for consideration and discussion in current session of Parliament.

4. As on February, 2019, a total number of 199 cases under various Sections of the Competition Act were pending before the Competition Commission for final disposal. During the month of February, 2019, six (06) anti-trust cases were filed before the Commission. The Commission also received seven (07) combination notices and disposed of five(05) combination notices during the month.

5. The Commission signed an MoU with Government e Market place(GeM) on 6th February, 2019 in order to set up an institutional mechanism for formal interaction between the CCI and GeM. Under the MOU, GeM and CCI shall pool their knowledge of the public procurement domain to explore the suitability of already available tools for detection of cartels. Commission organized its fourth Roadshow on the theme of "Public Procurement, Trade Associations and Cartels" on 25th February, 2019 at Hyderabad.

6. In the matter of Reliance Industries Ltd. vs. Indian Oil Corporation Ltd. & Ors. (case No. 26/2010), the information was filed regarding indulgence of BPCL and HPCL in cartelization and misuse of dominant position in market of Aviation Turbine Fuel (ATF). The Commission ordered investigation u/s 26(1) of the Act. However, the matter is stayed by Delhi High Court.

7. 1683 cases have been admitted under Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 (IBC) as on 28th February, 2019. Out of which 1019 cases are undergoing Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). 315 cases have been ordered for liquidation. 88 cases have been resolved, resulting in realisation of Rs 68,766 crores which is 48.25% of admitted claims.

सं. सीडीएन-27011/2/2019-सीडीएन-एमसीए

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

5वां तल, 'ए' विंग, शास्त्री भवन,

डा. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली-110001

तारीखः 22 .03.2019

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के फरवरी, 2019 माह के मासिक सार की प्रति सूचना हेतु संलग्न है।

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाषः 23389622

अनुलग्नक - उपरोक्तानुसार

मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य

प्रतिलिपि, संलग्नक सहित, निम्नलिखित को प्रेषित-

1. कैबिनेट सचिव, केंद्रीय सचिवालय, नई दिल्ली
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
3. भारत के उप राष्ट्रपति के सचिव, उपराष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली
4. प्रधान महानिदेशक, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
5. सचिव, दूरसंचार विभाग, संचार भवन, नई दिल्ली
6. सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
7. सचिव, सांख्यिकी विभाग, सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली
8. सचिव, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
9. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, सीएसआईआर बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली
10. सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली
11. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली
12. सचिव, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
13. सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग भवन, नई दिल्ली
14. सचिव, रक्षा उत्पादन एवं आपूर्ति विभाग, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली
15. सचिव, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि प्रेषितः (i) आर्थिक सलाहकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(ii) सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

(iii) अपर सचिव के प्रधान निजी सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय

प्रतिलिपि प्रेषितः निदेशक (ए.के.) - एमसीए वेबसाइट पर "कारपोरेट कार्य मंत्रालय का फरवरी, 2019 का मासिक सार" के अंतर्गत अपलोड करने के लिए

नीलरतन दास

(नीलरतन दास)

अवर सचिव, भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

फरवरी, 2019 माह के दौरान लिए गए नीतिगत निर्णय और उपलब्धियां

1. परिपत्र:-

(i) मंत्रालय ने एमएसएमई प्ररूप-1 में प्रारंभिक विवरणी दायर करने की अंतिम तारीख को बढाने के संबंध में दिनांक 21.02.2019 को सामान्य परिपत्र संख्या 1/2019 जारी किया हैं तथा यह कहा है कि दिनांक 22.01.2019 के विशिष्ट कंपनी (लघु और छोटे उद्यम वितरकों के लिए भुगतान की सूचना प्रदान करना) आदेश, 2019 में यथावर्णित एमएसएमई प्ररूप-1 में प्रारंभिक विवरणी दायर करने हेतु 30 दिन की अवधि एमसीए21 पोर्टल पर उक्त प्ररूप को प्रसारित करने की तारीख से मानी जाएगी।

2. अधिसूचनाएं

(i) "महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी" की परिभाषा को अधिक स्पष्टता प्रदान करने और कंपनी तथा रजिस्ट्री में संगत घोषणा दायर करने की प्रणाली हेतु कंपनी (महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामी) नियम, 2018 में, दिनांक 8 फरवरी, 2019 को संशोधन किए गए थे। इन संशोधनों का उद्देश्य नियमों पर विभिन्न हितधारकों द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निपटान करना है। (दिनांक 08.02.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.100(अ)।

(ii) कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 454 में संशोधन को लागू करने के लिए 19 फरवरी, 2019 में कंपनी (शास्तियों का न्यायनिर्णयन) नियम, 2014 में संशोधन किया गया है। (दिनांक 2/11/2018 से प्रभावी) इन नियमों में किए गए बदलावों का उद्देश्य न्यायनिर्णयन अधिकारियों द्वारा धन संबंधी शास्तियों का त्वरित न्यायनिर्णयन सुनिश्चित करना है। (दिनांक 19.02.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.131(अ)।

(iii) कंपनी (विवरणी और प्रतिभूतियों का आबंटन) नियम, 2014 में 19 फरवरी, 2019 को उक्त नियमों के साथ संलग्न पीएएस-3 प्ररूप में दर्शाये गए एक अनावश्यक प्रावधान को हटाने के लिए संशोधन किए गए। इस संशोधन के परिणामस्वरूप इस अधिनियम/नियमों के प्रावधान और प्ररूप सुव्यवस्थित किए गए। (दिनांक 19.02.2019 की अधिसूचना संख्या 130(अ))।

(iv) कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 में 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले सभी निगमित कंपनियों को कंपनी और उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का विवरण 25.04.2019 को या उससे पहले एक्टिव ई-प्ररूप (एक्टिव कंपनी टेगिंग कंपनी तथा सत्यापन) में देना अनिवार्य करने के लिए कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 में संशोधन किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, जब कोई कंपनी "एक्टिव ई-प्ररूप" में 26.04.2019 को या उसके बाद विवरणी दायर करती है, तो कंपनी को दस हजार की शुल्क अदायगी पर "एक्टिव अनुपालक" के रूप में चिन्हित किया जाएगा। ई-प्ररूप एक्टिव (आईएनसी-22क) को भी पूर्वोक्त अधिसूचना द्वारा अतः स्थापित किया गया है। (दिनांक 21.02.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.144(अ))।

(v) कंपनी (निगमीकरण) नियम, 2014 के नियम 25क के अंतर्गत एक्टिव ई-प्ररूप में दायर करने के लिए शुल्क से संबंधित नियम को अतःस्थापित करने के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकरण कार्यालय और फीस) नियम, 2014 में संशोधन किए गए हैं। (दिनांक 21.02.2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि.143(अ))।

3. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का कंपनी (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2019 के रूप में पुनः प्रख्यापन का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19 फरवरी, 2019 को अनुमोदित कर दिया गया था और इस

अध्यादेश को 21 फरवरी, 2019 को पुनः प्रख्यापित किया गया था। कंपनी अधिनियम, 2013 में किए गए अत्यावश्यक संशोधनों को निरंतरता प्रदान करने के लिए पुनःप्रख्यापन करना आवश्यक था ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रबंधन अनुपालन में अपराध और प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए एमसीए द्वारा गठित समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा सके। कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2019 पर संसद के वर्तमान सत्र में विचारण तथा चर्चा होने की संभावना है।

4. फरवरी, 2019 तक, प्रतिस्पर्धा अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अंतिम निपटान के लिए कुल 199 मामले प्रतिस्पर्धा आयोग के समक्ष लंबित थे। फरवरी, 2019 माह के दौरान आयोग के समक्ष न्यास भंग के छह (06) मामले फाइल किए गए थे। आयोग को आलोच्चय माह के दौरान सात (07) समुच्चय नोटिस प्राप्त हुए और पांच (05) समुच्चय नोटिस निपटाए गए।

5. आयोग ने सरकार ई-मार्केट प्लेस (सीईएम) के साथ 6 फरवरी, 2019 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ताकि सीसीआई और जेम के बीच औपचालिक बातचीत के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित किया जा सके। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जेम और सीसीआई कार्टेल्स का पता लगाने के लिए पहले से उपलब्ध साधनों की उपयुक्तता जांचने के उद्देश्य से सार्वजनिक प्रापण डोमेन की जानकारी साझा करेंगे। आयोग ने 25 फरवरी, 2019 को हैदराबाद में सार्वजनिक प्रापण व्यापार संघ और कार्टेल्स विषय पर अपने चौथे रोड शो का आयोजन किया।

6. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लि. और अन्य (मामला सं.26/2010) के मामले में, बीपीसीएल और एचपीसीएल के व्यवसायी समूहन में सम्मिलित होने और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) के बाजार में प्रभावशाली स्थिति के दुरूपयोग की सूचना फाइल की गई थी। आयोग ने इस अधिनियम की धारा 26(1) के अंतर्गत जांच के आदेश दिए। यद्यपि, मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई है।

7. 28 फरवरी, 2019 तक दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत 1683 मामले विचारार्थ लिए गए हैं। इनमें से, 1019 मामले, कारपोरेट दिवाला निपटान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत हैं। 315 मामलों में समापन के आदेश दिए गए हैं। 88 मामलों का निपटान किया गया है जिसके परिणामस्वरूप, 68,766 करोड़ रुपये की वसूली हुई जो स्वीकृत मामलों का 48.25 प्रतिशत है।

*****